न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./80/2024

1. रामगोपाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. रणजीत पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. लाली पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. सुमित्रा पत्नी रामगोपाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. महावीर पुत्र सांवरलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–14.06.2024

उपस्थित:– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2. वकील अप्रार्थी– श्री किशन आचार्य
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा गोपालपुरा पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 284 में दर्ज खसरा नं. 567/1984 रकबा 0.32 कुल किता 01 कुल रकबा 0.32 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 03 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन आचार्य द्वारा वकालतनामा पेश कर पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पथरगढ़ बाबत् अपनी सहमति प्रकट की गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री राहुल आचार्य द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 का नाम पत्रावाली से विलोपित करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 02 का नाम पत्रावाली से विलोपित किया जाकर सशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थी से जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व

उप जिला मजिस्ट्रेट
भिनाय (केकड़ी) राज.

रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। अधिवक्ता श्री किशन आचार्य द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की और से पत्थरगढ़ बाबत् अपनी सहमति प्रकट की। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम गोपालपुरा के खाता संख्या 284 संवत 2070–2073(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा गोपालपुरा पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 284 में दर्ज खसरा नं. 567/1984 रकबा 0.32 कुल किता 01 कुल रकबा 0.32 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)